NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-11-2024

विषय सूची

क्षमादान की शक्ति

नैनो बबल टेक्नोलॉजी (Nano Bubble Technology)

सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष

गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% रोजगारों के आरक्षण का प्रस्ताव

तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 (Coastal Shipping Bill, 2024)

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

संक्षिप्त समाचार

PROBA-3 मिशन

विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस

उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी (High-Risk Food Categories)

तेल क्षेत्र/ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता (LraHk-II)

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (ACNAS)

मर्फी का नियम (Murphy's Law)

क्षमादान की शक्ति

पाठ्यक्रम

- राष्ट्रपति जो बिडेन(Joe Biden) ने अपने बेटे हंटर बिडेन(Hunter Biden) को कर और बंदूक की सजा के लिए बिना शर्त माफ़ी दे दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमा प्रक्रिया

- अमेरिकी राष्ट्रपति के पास महाभियोग के मामलों को छोड़कर, अमेरिकी संविधान के तहत संघीय आपराधिक अपराधों के लिए क्षमा देने की शक्ति है।
    - आपराधिक रिकॉर्ड को समाप्त नहीं करता है बल्कि दंड को कम करता है और कुछ अधिकारों को पुनर्स्थापित करता है।
- विवेकाधीन प्रकृति: राष्ट्रपति के पास एकतरफा क्षमादान अधिकार है, जो कांग्रेस की मंजूरी से स्वतंत्र है।

भारतीय व्यवस्था में क्षमादान शक्ति

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 राष्ट्रपति और राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर सजा माफ करने या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
    - भारत में क्षमादान अपराधी को दोषसिद्धि, सजा और अयोग्यता से मुक्त कर देता है।
    - **क्षमादान शक्ति का दायरा: अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की शक्ति):** राष्ट्रपति संघीय अपराधों के लिए क्षमा, लघुकरण, प्रबिलंबन,विराम या परिहार दे सकता है, जिसमें मौत की सजा और केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामले शामिल हैं।
        - **अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की शक्ति):** राज्यपाल राज्य के अपराधों और राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के तहत मामलों के लिए समान शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं।

अमेरिका और भारतीय क्षमादान शक्तियों की तुलना

Feature	India	United States
Source of Power	Article 72 of the Constitution	Article II, Section 2 of the Constitution
Scope	Both federal (Union) and state crimes	Federal crimes only
Death Penalty	President can pardon death sentences, including those imposed by states	President can only pardon federal death sentences; Governors hold this power for state crimes
Role of Executive Branch	President acts on the advice of the Council of Ministers	President has unilateral authority
Judicial Review	Limited judicial review; courts can examine the process but generally not the decision itself	Courts can review pardons in cases of suspected corruption or abuse of power
Limitations	Cannot pardon someone impeached by Parliament	Cannot pardon someone impeached and convicted by Congress
Other Considerations	Includes powers of reprieve, remission, commutation, and respite	Similar forms of clemency exist (reprieve, commutation, remission)

विधिक और नैतिक चिंताएँ

- **मनमानी:** आलोचकों का तर्क है कि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है, जिससे पक्षपात या राजनीतिक पूर्वाग्रह की धारणा पैदा होती है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** क्षमादान देने के पीछे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी होती है, जिसके कारण अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग होती है।
- **न्याय प्रणाली पर प्रभाव:** क्षमादान न्यायपालिका के अधिकार और कानून के तहत समान न्याय के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।

आगे की राह क्या हो सकती है?

- क्षमादान करने की शक्ति न्याय और दया के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन विधि के शासन और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने से बचने के लिए इसका उपयोग सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए।
- आधुनिक लोकतंत्रों में, संवैधानिक कार्यालयों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, भाई-भतीजावाद या मनमानी के बिना, क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

वैधानिक और संवैधानिक शक्ति के बीच अंतर

- **वैधानिक शक्ति:** CrPC(धारा 432-435) के तहत, "उपयुक्त सरकार(appropriate government)" छूट या कम्यूटेशन दे सकती है। CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों के लिए, राज्य को केंद्र सरकार से परामर्श करना चाहिए।
- **संवैधानिक शक्ति:** अनुच्छेद 72 और 161 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि क्षमादान देने के लिए सरकार के परामर्श पर कार्य करते हैं। दोनों शक्तियां (वैधानिक और संवैधानिक) अलग-अलग हैं, जैसा कि मारू राम (1980) और केहर सिंह (1988) जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है।
  - उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मनमानी या अनुचित उद्देश्यों के मामलों में यह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

Source: TH

नैनो बबल टेक्नोलॉजी(Nano Bubble Technology)

पाठ्यक्रम

- केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई, जो जल शुद्धिकरण के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है?

- **संक्षिप्त विवरण:** यह अविश्वसनीय रूप से छोटे बुलबुले, जिन्हें नैनो बबल कहा जाता है, का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करने की एक अत्याधुनिक विधि है। ये बुलबुले इतने छोटे (व्यास में 200 नैनोमीटर से कम) हैं कि वे नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं।

- **कार्यपद्धति:** सतह पर उठने और फूटने वाले नियमित बुलबुले के विपरीत, नैनो बबल लंबे समय तक पानी में निलंबित रहते हैं। यह उन्हें प्रदूषकों के साथ संपर्क करने और उन्हें विघटित करने की अनुमति देता है।
  - नैनो बबल में एक दृढ नकारात्मक चार्ज होता है, जो उन्हें पानी में अशुद्धियों को आकर्षित करने और विघटित करने में सहायता करता है। वे शैवाल, जैविक अपशिष्ट और यहां तक कि तेल और ग्रीस को भी हटा सकते हैं।
  - नैनो बबल पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं।

पारंपरिक तरीकों की तुलना में लाभ

- जल शुद्धिकरण के लिए रसायन-मुक्त दृष्टिकोण, इसे पर्यावरण के अनुकूल और जलीय जीवन के लिए सुरक्षित बनाता है।
- नैनोबबल तकनीक परिचालन लागत को कम करके अधिक ऊर्जा-कुशल हो सकती है।
- इसे झीलों, तालाबों, एक्वेरियम और यहां तक कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों सहित विभिन्न जल निकायों पर लागू किया जा सकता है।

जल शोधन से परे अनुप्रयोग

- नैनोबबल्स जड़ों तक ऑक्सीजन वितरण में सुधार और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं।
- दवा वितरण, चिकित्सा इमेजिंग और यहां तक कि कैंसर के उपचार के लिए नैनोबबल्स का उपयोग करने पर शोध में वृद्धि हो रही है।
- अनुप्रयोगों में औद्योगिक उपकरणों की सफाई, किण्वन प्रक्रियाओं में सुधार एवं तेल पुनर्प्राप्ति को बढ़ाना शामिल है।

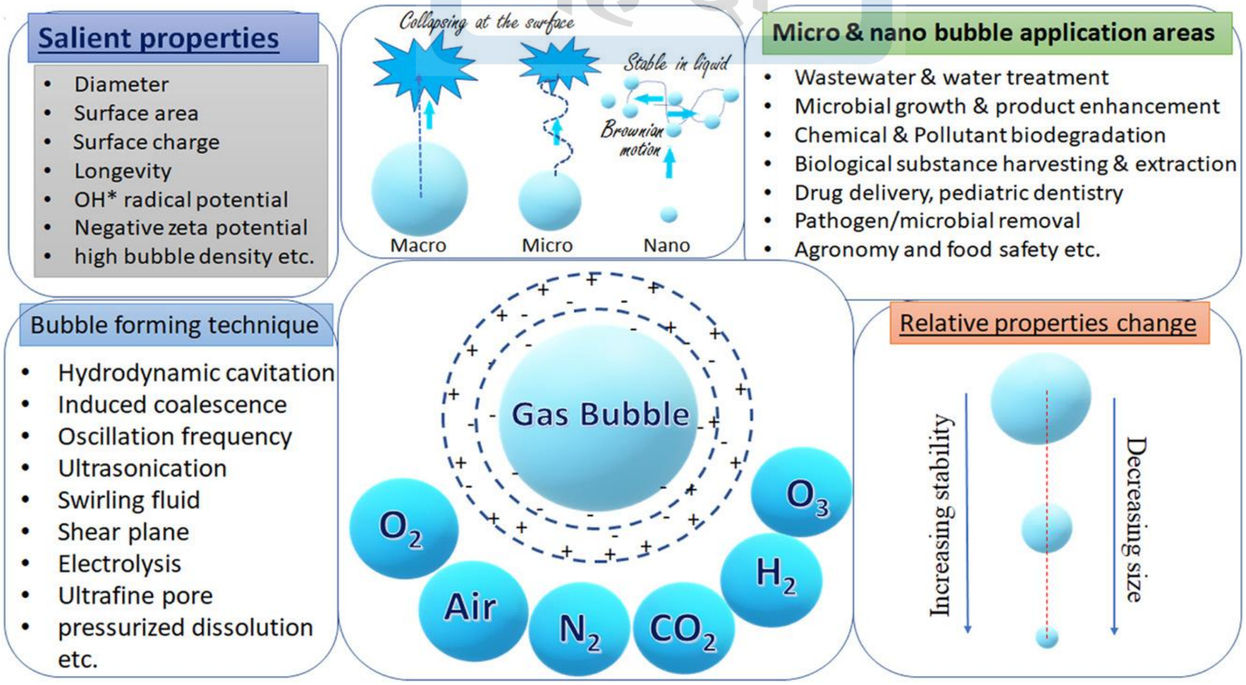

Source: PIB

सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष

पाठ्यक्रम

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष पूरे किये।

सुगम्य भारत अभियान की आवश्यकता

- भारत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध था।
- हालाँकि, 2015 से पहले, प्रयासों में एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति और लागू करने योग्य समयसीमा का अभाव था।
- 1995 का विकलांग व्यक्ति अधिनियम, कल्याण-उन्मुख होते हुए भी, पहुंच संबंधी चुनौतियों का पूरी तरह से समाधान नहीं करता या विकलांग व्यक्तियों को सशक्त नहीं बनाता।
    - इसके प्रत्युत्तर में, सार्वजनिक भवनों, परिवहन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफार्मों को सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था।

सुगम्य भारत अभियान के बारे में

- यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से भाग लेने और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
- यह एक सुलभ भौतिक वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।
    - अभियान के उद्देश्यों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (SIPDA) के कार्यान्वयन की योजना के तहत बाधा मुक्त पर्यावरण योजना के निर्माण में एकीकृत किया गया है, जिससे पहुंच की दिशा में निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- **सुलभ बुनियादी ढाँचा**
    - ऑडिट(Audits): 1,671 सरकारी भवनों का ऑडिट किया गया।
    - वित्तपोषण(Funding): 1,314 इमारतों की रेट्रोफिटिंग के लिए ₹562 करोड़ जारी।
    - रेट्रोफिटिंग(Retrofitting): 1,748 सरकारी भवनों में सुगम्यता सुविधाएँ शामिल की गईं।
- **परिवहन:** हवाई अड्डे: 35 अंतरराष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुलभ बनाया गया।
    - रेलवे स्टेशन: 709 पूर्णतः सुगम्य, 4,068 आंशिक रूप से सुगम्य।
    - बसें: 8,695 (5.96%) पूरी तरह से सुलभ, 42,348 (29.05%) आंशिक रूप से सुलभ।
    - बस स्टेशन: 3,533 बस स्टेशनों में से 3,120 पहुंच सुविधाओं से सुसज्जित हैं।
- **डिजिटल पहुंच:** वेबसाइटें: 95 केंद्र सरकार और 676 राज्य सरकार की वेबसाइटें सुलभ बनाई गईं।
- **शिक्षा और भाषा पहुंच:** भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।

  - **प्रशिक्षण:** 1,013 व्यक्तियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया।
  - 183 छात्रों ने भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या (DISLI) में डिप्लोमा पूरा किया।
- **मीडिया एक्सेसिबिलिटी:** श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए टीवी देखने के लिए एक्सेसिबिलिटी मानक प्रकाशित।

अन्य जारी प्रयास

- **विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD):** 2012 में स्थापित, 2014 में इसका नाम परिवर्तित किया गया।
  - विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS):** DDRS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को अपने लक्ष्य हासिल करने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है। इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोरोग, या सामाजिक-कार्यात्मक स्तर।
- **जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC):** शीघ्र पहचान, सहायक उपकरण, ऋण और जागरूकता के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - राष्ट्रीय संस्थानों के लिए एक आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **सहायक उपकरण/उपकरण खरीदने/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (ADIP) योजना:** विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपकरण खरीदने में सहायता करने के लिए एजेंसियों को अनुदान प्रदान करती है।
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं अधिनियम 2016 (SIPDA):** यह एक व्यापक "केंद्रीय क्षेत्र योजना" है जिसमें 11 अगस्त 2021 को व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक के दौरान संशोधन के बाद 10 उप-योजनाएं शामिल हैं।
- **दिव्य कला मेला:** दिव्यांगजनों को समर्पित राष्ट्रीय स्तर का मेला।
  - दिव्यांग कारीगरों के योगदान का जश्न मनाता है।
- **पीएम-दक्ष:** विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन।
  - विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का भाग
- **वित्तीय प्रतिबद्धता: ब**जट में वृद्धि: वित्तीय आवंटन 2013-14 में ₹560 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1,225.15 करोड़ हो गया।
  - 2023-24 में ₹1,143.89 करोड़ खर्च किए गए, जो एक दशक में सबसे अधिक है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- सुगम्य भारत अभियान ने एक समावेशी समाज बनाने, लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने और बुनियादी ढांचे, परिवहन, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- निरंतर प्रयासों और नवीन समाधानों के साथ, सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने का मिशन दृढ़ है।

Source :PIB

गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% रोजगारों के आरक्षण का प्रस्ताव

सन्दर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए सरकारी रोजगारों में 95% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है।

लद्दाख के लिए प्रस्तावित निर्णयों के बारे में

- **लद्दाखियों के लिए रोजगारों में 95% आरक्षण:** लद्दाख में ST दर्जे वाले स्थानीय लोगों के लिए सरकारी रोजगारों में 95% आरक्षण।
  - राजपत्रित पद DANICS के माध्यम से नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे।
- **हिल काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण:** लेह और कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
  - परिषदों में प्रत्येक में 30 सीटें हैं, जिनमें से 26 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। महिलाओं के लिए 8-9 सीटें आरक्षित रहेंगी.
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** लद्दाख की भूमि और संस्कृति के संरक्षण के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा प्रस्तावित किया जाएगा।
  - सरकार उर्दू और भोटी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित करेगी।

अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद की चुनौतियाँ

- 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से, लद्दाख को विरोध का सामना करना पड़ा है, लोग इस पर बल दे रहे हैं:
  - लद्दाख को राज्य का दर्जा.
  - जनजातीय दर्जे के लिए छठी अनुसूची में शामिल किया जाना।
  - स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण.
  - लेह और कारगिल प्रत्येक के लिए एक संसदीय सीट।

छठी अनुसूची

- छठी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत एक राज्य के अंदर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन के प्रावधानों के साथ अपनाया गया था।
  - छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में आधिकारिक तौर पर 'आदिवासी क्षेत्र' कहे जाने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। इन चार राज्यों में इस समय 10 ऐसे 'आदिवासी क्षेत्र' हैं।
  - स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के रूप में इन प्रभागों को राज्य के अंदर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
- **संरचना:** छठी अनुसूची के अनुसार, राज्य के अंदर एक क्षेत्र का प्रशासन करने वाले ADCs में पांच वर्ष की अवधि के साथ 30 सदस्य होते हैं।
  - असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इसका अपवाद है, जिसके 40 से अधिक सदस्य

हैं और उसे 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है।

- **क्षेत्राधिकार:** ADCs भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तर की पुलिस व्यवस्था, संपत्ति की विरासत, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज तथा खनन आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। समस्याएँ।
    - ADCs के पास उन मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने की भी शक्तियां हैं जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम सजा 5 वर्ष से कम जेल है।

राज्यों में रोजगारों में आरक्षण के पक्ष में तर्क

- **क्षेत्रीय असमानताओं का संबोधन :** क्षेत्रीय संतुलन और विकास को बढ़ावा देते हुए, अविकसित या दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है।
- **प्रवासन में कमी:** स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करके, आरक्षण बड़े शहरों में प्रवासन को कम कर सकता है, जो शहरी भीड़भाड़ को कम करता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है।
- **स्थानीय प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन:** आरक्षण स्थानीय प्रतिभा को विकसित करने और उपयोग करने में सहायता करता है, जिससे राज्य के अंदर अधिक कुशल कार्यबल तैयार होता है, जो दीर्घकालिक विकास में योगदान दे सकता है।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा:** हाशिये पर पड़े समुदायों की क्षमता को उजागर करता है, समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है और असमानता को कम करता है।
- **संवैधानिक अधिदेश:** सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को संवैधानिक रूप से समर्थन प्राप्त है।
- **सरकारी सेवाओं में सुधार:** सरकारी रोजगारों में स्थानीय प्रतिनिधित्व अधिक उत्तरदायी और क्षेत्रीय रूप से जागरूक सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।

राज्यों में रोजगारों के आरक्षण के विरुद्ध तर्क

- **योग्यतातंत्र को कमजोर करता है:** आरक्षण से कम योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता है, योग्यता पर कोटा को प्राथमिकता दी जा सकती है और संभावित रूप से रोजगार के मानक कम हो सकते हैं।
- **क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है:** राज्य या क्षेत्रीय मानदंडों के आधार पर आरक्षण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं, विभाजन और नाराजगी को बढ़ावा दे सकता है।
- **राष्ट्रीय एकता में बाधा:** यह राज्यों के बीच विभाजन को गहरा कर सकता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के विचार को कमजोर करते हुए बहिष्कृत या भेदभाव महसूस कर सकते हैं।

Source: TH

तटीय शिपिंग विधेयक, 2024(Coastal Shipping Bill, 2024)

सन्दर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों के स्वामित्व तथा संचालित

भारतीय ध्वज वाले जहाजों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 पेश किया।

पृष्ठभूमि

- तटीय शिपिंग, जिसमें क्षेत्रीय जल के अंदर समुद्र तट (लगभग 7,517 किलोमीटर) के साथ माल एवं यात्रियों की आवाजाही शामिल है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- प्रमुख बंदरगाह प्रत्यक्ष केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं जबकि छोटे/मध्यवर्ती बंदरगाहों का प्रबंधन और प्रशासन संबंधित समुद्री राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- हालाँकि, इस क्षेत्र को पुराने कानूनों द्वारा विनियमित किया गया है, जैसे कि 1838 का कोस्टिंग वेसल अधिनियम और 1958 का मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, जिसमें एकरूपता का अभाव है।

तटीय शिपिंग का महत्व

- तटीय शिपिंग परिवहन का एक ऊर्जा-कुशल और लागत प्रभावी तरीका है, विशेष रूप से थोक कार्गो के लिए उपयुक्त है।
- यह सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करने, भीड़भाड़ और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सहायता करता है।
- इसके अतिरिक्त, तटीय नौवहन आपात स्थिति के दौरान रणनीतिक रसद सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करता है।

तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **सरलीकृत लाइसेंसिंग:** सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक तटीय व्यापार में लगे भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को हटाना है।
    - इससे नौकरशाही बाधाओं को कम करने और अधिक भारतीय जहाजों को तटीय शिपिंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की सम्भावना है।
- **राष्ट्रीय डेटाबेस:** यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सूचना साझा करने की सुविधा के लिए तटीय शिपिंग के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण का प्रस्ताव करता है।
- **रणनीतिक योजना:** विधेयक तटीय शिपिंग के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय तटीय एवं अंतर्देशीय शिपिंग रणनीतिक योजना तैयार करने का आदेश देता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विधेयक यह सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर बल देता है कि तटीय व्यापार मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और संचालन वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों द्वारा किया जाता है।
- **अंतर्देशीय जहाजों की भागीदारी:** बिल कुछ शर्तों के तहत अंतर्देशीय जहाजों को तटीय व्यापार में शामिल होने की अनुमति देता है, जिससे उन जहाजों का दायरा बढ़ जाता है जो तटीय व्यापार में भाग ले सकते हैं।
- **पर्यावरण मानक:** विधेयक में पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं, जो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

- **दंड और प्रवर्तन:** यह गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान करता है और शिपिंग महानिदेशक जैसे अधिकारियों को नियमों को लागू करने का अधिकार देता है।
- **रोजगार सृजन:** भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय चालक दल पर ध्यान केंद्रित करके, विधेयक समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करना चाहता है।

निहितार्थ

- तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 से भारतीय ध्वज वाले जहाजों के उपयोग को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने और रोजगार सृजित करके समुद्री उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- इसका उद्देश्य तटीय शिपिंग को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को आधुनिक बनाना, इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है।

भारत के बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र पर अद्यतन जानकारी

- **सागरमाला योजना:** बंदरगाह और तटीय शिपिंग में वृद्धि जारी है।
- **सागर मंथन:** मंत्रालय और उसके संगठनों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (NW-4):** रोल-ऑन/रोल-ऑफ (Ro-Ro) सेवाएं अब चालू हैं, जो मुख्य रूप से निर्माण के लिए पत्थर के चिप्स का परिवहन करती हैं।
    - सड़क और रेल परिवहन की तुलना में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) पर इसकी लागत-प्रभावशीलता और कम प्रदूषण के लिए बल दिया जाता है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री):** लॉजिस्टिक्स समुदाय में सभी हितधारकों को जोड़ने, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में उद्घाटन किया गया।
- **सागर-सेतु मोबाइल ऐप:** व्यापार करने में सुलभता बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया।
- **वधावन प्रमुख बंदरगाह परियोजना:** ₹76,220 करोड़ के निवेश के साथ स्वीकृत।
- **समुद्री अमृत काल विजन 2047:** विश्व स्तरीय बंदरगाहों को विकसित करने और अंतर्देशीय जल परिवहन एवं तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया।

चुनौतियाँ

- अपनी क्षमता के बावजूद, भारत में तटीय शिपिंग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, नियामक बाधाएं और परिवहन के अन्य तरीकों से प्रतिस्पर्धा शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** वर्तमान बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों के विकास सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे में निवेश करना, तटीय शिपिंग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- **नीति समर्थन:** जहाज निर्माण और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन सहित निरंतर नीति समर्थन, इस क्षेत्र में अधिक खिलाड़ियों को आकर्षित करने में सहायता कर सकता है।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से तटीय शिपिंग के सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

Source: TH

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

पाठ्यक्रम

- लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।

परिचय

- यह इनमें संशोधन करता है: (i) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934, (ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (iii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, (iv) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, और (v) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980।

मुख्य परिवर्तन

- **नकदी भंडार के लिए "पखवाड़े(Fortnight)" को फिर से परिभाषित करना:** कैलेंडर माह-आधारित परिभाषा में बदलाव से नकदी भंडार के लिए औसत दैनिक शेष की गणना करना आसान हो जाता है और मानक लेखांकन प्रथाओं के साथ अधिक संरेखित हो जाता है।
  - RBI अधिनियम के तहत, अनुसूचित बैंकों को RBI के पास नकदी भंडार के रूप में औसत दैनिक शेष का एक निश्चित स्तर बनाए रखना होगा।
- **सहकारी बैंक निदेशकों का कार्यकाल:** कार्यकाल को 10 वर्ष तक बढ़ाने से सहकारी बैंकों के नेतृत्व में अधिक स्थिरता और निरंतरता मिल सकती है।
- **सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध:** राज्य सहकारी बैंक बोर्डों में सेवारत केंद्रीय सहकारी बैंक निदेशकों के लिए छूट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर बेहतर समन्वय और सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- **किसी कंपनी में पर्याप्त रुचि:** सीमा को बढ़ाकर ₹2 करोड़ करना बदलते आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है और बैंकों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा कंपनियों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **नामांकन:** चार नामांकित व्यक्तियों को अनुमति देने से जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति वितरित करने में अधिक लचीलापन मिलता है और विरासत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिल सकती है।
- **निवेशक सुरक्षा:** यह निवेशक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और दावा न किए गए धन के प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- **लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:** बैंकों को लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने की शक्ति देने से अधिक लचीलापन मिल सकता है और उन्हें योग्य लेखा परीक्षकों को आकर्षित करने की अनुमति मिल सकती है।

Source: PRS

संक्षिप्त समाचार

PROBA-3 मिशन

पाठ्यक्रम

- इसरो अपने PSLV-C59 वाहन की सहायता से श्रीहरिकोटा से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के PROBA-3 मिशन उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

PROBA-3 मिशन के बारे में (ऑनबोर्ड स्वायत्तता के लिए परियोजना)

- **वैज्ञानिक लक्ष्य:**
  - सौर तूफानों और कोरोनल मास इजेक्शन की अग्रिम समझ जो पृथ्वी के उपग्रह संचालन, संचार प्रणालियों और पावर ग्रिडों को प्रभावित करती है।
  - सौर गतिशीलता और स्थानिक मौसम की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करें।
  - नई अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकियों और अवधारणाओं का परीक्षण करें।
  - इसरो के आदित्य-L1 मिशन के बाद सौर विज्ञान में विशेषज्ञता बढ़ाना।
- **शामिल एजेंसियां:** ESA मिशन का नेतृत्व करता है, और इसरो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के माध्यम से लॉन्च की सुविधा प्रदान करेगा।
- **अंतरिक्ष यान:** मिशन दो अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है:
  - **कोरोनाग्राफ(Coronagraph):** सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है।
  - **ओकुल्त्टर(Occulter):** बेहतर अवलोकन के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाने के लिए सूर्य को अवरुद्ध करता है।

Source: TOI

विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस

पाठ्यक्रम

- विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस (4 दिसंबर) पर, भारत अपनी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के प्रयासों पर विचार करते हुए अपनी समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाता है।

भारत के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में

- **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** भारत 34 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार का स्थल है - हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट-श्रीलंका और सुंदरलैंड।
- **विविध वन्यजीवन:** विश्व के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बावजूद, भारत 7-8% दर्ज प्रजातियों का समर्थन करता है, जिससे यह विश्व स्तर पर मेगाविविधता वाले देशों में से एक बन जाता है।

गंभीर चुनौतियाँ

- भारत की आर्थिक वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या वन्यजीव आवासों के साथ संघर्ष (मानव-पशु संघर्ष) पैदा करती है।
- **गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ:** भारत 73 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों (IUCN, 2022) की मेजबानी करता है, जो 2011 में 47 से अधिक है। बेहतर निगरानी इस वृद्धि के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी है।
- नौ गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ, जिनमें से आठ स्थानिक हैं, में शामिल हैं:
    - कश्मीर स्टैग (हंगुल), मालाबार लार्ज-स्पॉटेड सिवेट, अंडमान क्रू, जेनकिन्स क्रू, निकोबार क्रू, नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल, लार्ज रॉक रैट और लीफलेटिड लीफ-नोज्ड बैट।
    - **पक्षी:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियाँ अनोखे खतरों का सामना करती हैं, जैसे कि राजस्थान में बिजली की लाइनें, प्रायः संरक्षण प्रयासों में अनदेखी की जाती हैं।

आगे की राह

- **संरक्षण कानूनों को मजबूत करें:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों और नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ाएं।
- **पर्यावास संरक्षण:** संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करें और स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व क्षेत्र सुनिश्चित करें।
- **प्रौद्योगिकी का अनुकूलन:**

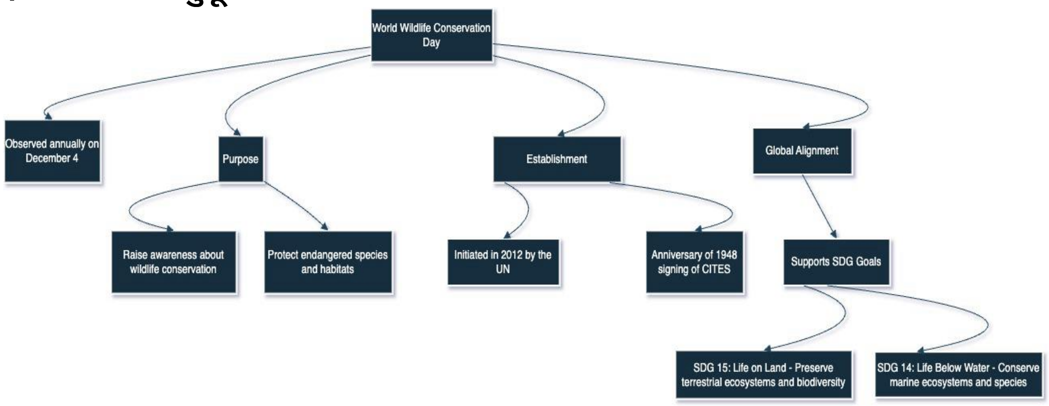

Source: TH

उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी(High-Risk Food Categories)

सन्दर्भ

- FSSAI ने पैकेज्ड पेयजल को 'उच्च जोखिम वाले खाद्य' की श्रेणी में रखा है।

उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणियाँ क्या हैं?

- वे खाने के लिए तैयार वस्तुएं हैं जो रोगज़नक़ों के विकास में सहायता कर सकती हैं, जिन्हें सावधानी से संभालने और कच्चे खाद्य पदार्थों से अलग करने की आवश्यकता होती है।
- उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ प्रायः खाद्य विषाक्तता के प्रकोप से जुड़े होते हैं। पैकेज्ड पानी के अतिरिक्त, इस श्रेणी में आने वाले अन्य उत्पादों में शामिल हैं: डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, अंडे, तैयार खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ और फोर्टिफाइड चावल के दाने।
- उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी के व्यवसायों को FSSAI -मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट से गुजरना आवश्यक है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 2008 में स्थापित, उपभोग के लिए भोजन का उचित विनियमन, भंडारण और वितरण सुनिश्चित किया गया।

Source: TH

तेल क्षेत्र/ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

सन्दर्भ

- तेल क्षेत्र/ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 राज्यसभा में पारित हो गया है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- विधेयक तेल क्षेत्र/ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करता है।
- यह अधिनियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है।
- **खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार:** विधेयक में परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया गया है: कोई भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल।
- **पेट्रोलियम पट्टे की शुरूआत:** विधेयक खनन पट्टे को पेट्रोलियम पट्टे से परिवर्तित कर देता है, जिसमें समान गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
- **अपराधों का अपराधीकरण:** विधेयक में प्रावधान है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **दंड का निर्णय:** केंद्र सरकार दंड के निर्णय के लिए संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त करेगी।

Source: PIB

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता (स्तंभ- II)

सन्दर्भ

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत ने 2023 में समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के तहत आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौते (स्तंभ-द्वितीय) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- भारत और 13 अन्य समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) भागीदारों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर IPEF के समझौते के तहत तीन निकायों की स्थापना की है। यह समझौता 2024 में लागू हुआ।
    - वे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद [SCC], संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क [CRN] और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड [LRAB] हैं।
- आपूर्ति श्रृंखला परिषद की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए लक्षित, कार्य-उन्मुख कार्य को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी।
    - इसका अध्यक्ष अमेरिका और उपाध्यक्ष भारत है।
    - सितंबर 2024 में, वाशिंगटन में पहली SCC बैठक में सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और केमिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक्शन प्लान टीमों का गठन किया गया।

समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)

- IPEF को 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया गया था। सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका।
    - IPEF भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार का 28 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं।
- IPEF क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना चाहता है।
- यह ढांचा व्यापार (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III), और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV) से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है।
    - भारत IPEF के स्तंभ II से IV में शामिल हो गया था, जबकि इसने स्तंभ-I में पर्यवेक्षक का दर्जा बरकरार रखा है।

Source: PIB

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (ACNAS)

सन्दर्भ

- 2011-12 से 2022-23 तक राष्ट्रीय खातों या GDPके आधार वर्ष की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया गया है।

परिचय

- ACNAS में केंद्र एवं राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, शिक्षा जगत और शोधकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** नए डेटा स्रोतों की पहचान करना और संशोधित श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन की पद्धति पर परामर्श देना।
- बिश्वनाथ गोलदार की अध्यक्षता में गठित 26 सदस्यीय ACNAS के 2026 की शुरुआत तक अभ्यास पूरा करने की संभावना है।

राष्ट्रीय खातों और सकल घरेलू उत्पाद के लिए आधार वर्ष

- **आधार वर्ष:** चूंकि आर्थिक संकेतक और कीमतें बदलती रहती हैं, अर्थशास्त्री विकास में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए एक आधार वर्ष तय करते हैं, जिसमें सभी मूल्यों को स्थिर रखा जाता है।
- आधार वर्ष एक संदर्भ वर्ष है जिसके विरुद्ध अन्य सभी मूल्यों की तुलना की जाती है और यह आर्थिक विकास का आकलन करने की पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखने और मैक्रो समुच्चय के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर दर्शाने के लिए राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है।
- राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा स्थिर कीमतों पर अनुमान के लिए आधार वर्ष 1948-49 के साथ तैयार किया गया था

Source: TH

मर्फ़ी का नियम(Murphy's Law)

पाठ्यक्रम

- हाल ही में, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने इसे मर्फी के नियम से जोड़कर संसद के व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की।

मर्फी के नियम के बारे में

- इस कानून का श्रेय कैप्टन एडवर्ड ए. मर्फी, जूनियर को दिया जाता है, जो 1949 में रॉकेट स्लेज के लिए मंदी परीक्षण के दौरान अमेरिकी वायु सेना में एक इंजीनियर थे।
- मर्फी का नियम कहता है, "जो कुछ भी गलत हो सकता है, वह गलत ही होगा।" यह त्रुटियों की अनिवार्यता पर एक यथार्थवादी, यद्यपि निराशावादी, परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करता है।
- दुर्घटनाओं की संभावना को उजागर करके, यह संभावित विफलताओं के लिए सावधानीपूर्वक योजना और तैयारी को प्रोत्साहित करता है।

- मर्फी का नियम रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। हम सभी ने उन क्षणों का अनुभव किया है जब ऐसा लगता है कि जो कुछ भी गलत हो सकता था वह गलत हो गया। इस प्रवृत्ति को पहचानने से हमें अधिक तैयार होने में सहायता मिल सकती है।

दार्शनिक आधार

- मर्फ़ी का नियम केवल चेतावनी देने वाली सलाह से कहीं अधिक कार्य करता है। यह व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करता है:
  - **आकस्मिकताओं के लिए योजना बनाएं:** सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी करके लचीलापन बनाएं।
  - **अपरिहार्यता को स्वीकार करें:** स्वीकार करें कि गलतियाँ किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, जो अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देती हैं।
  - **विनम्रता:** यह एक विनम्र अनुस्मारक भी हो सकता है कि प्रत्येक चीज़ पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

Source: TH